

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO- 303 of 2025

IN THE MATTER OF:

NARESH KUMAR & ORS.

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 03.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF INSPECTION REPORT DT. 08.07.2020 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF SDM REPORT DT. 05.07.2020 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPY OF LETTER DT. 08.09.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	

5.	COPY OF THE LETTER DT. 27.09.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	
6.	COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 30.09.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 09.10.2025

PLACE: NOIDA

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO- 303 of 2025**



IN THE MATTER OF:

NARESH KUMAR & ORS.

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT(S)

**RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED
03.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

I, Ankit Singh aged about 38 years S/o Sh. Ajit Singh, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred as UPPCB), do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the official capacity mentioned above, I am acquainted the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

08 OCT 2025



2. That I state that the contents of the report have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That in the present matter, the applicants have claimed compensation for deaths and injuries caused by an explosion on 05.07.2020 at an illegal candle and firecracker unit in Bakharwa Village, Modinagar, Ghaziabad.
4. That the matter relates to the media report published in News Paper Amar Ujala edition dated 06.07.2020 titled "*7 casualties and injury have happened in the incident due to fire cracker explosion unit in Bakharwa Village, Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh*". Ten persons died and several others were injured. The unit, operating in rented premises, stored highly flammable materials. The applicants have disclosed their relationship with the deceased and injured. While compensation of Rs. 4 lakh was paid to most families, Applicant no.1 received only Rs. 2 lakh, and no further payment has been made. Relying on the Tribunal's order in OA No. 44/2021, the applicants submit they are entitled to Rs. 20 lakh for each death and appropriate compensation for the injured.

08 OCT 2025



5. That in the abovementioned matter, the Hon'ble Tribunal vide order dt. 03.07.2025, directed as under:

".....7 Issue notice to the respondent for filing their reply by way of affidavit within four weeks....."

I. INSPECTION OF THE UNIT ON 05.07.2020

6. That the inspection of the said candle factory site upon in Village Bakharwa, Tehsil Modinagar, District Ghaziabad, was carried out on 08.07.2020 by the UPPCB officials upon receiving the information regarding the incident.

A Copy of the inspection report dt. 08.07.2020 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1**.

7. The observations during the said inspection are as under:

- i. The factory is located amidst a densely populated area of Village Bakharwa, surrounded by residential houses.
- ii. At the time of inspection, no representative of the factory was present, and police personnel were stationed at the site.
- iii. Information gathered from local villagers revealed that on 05.07.2020, at approximately 4:00 PM, a fire broke out suddenly in the candle factory located in Village Bakharwa, Tehsil Modinagar, District Ghaziabad. Upon receiving information, the District



08 OCT 2025

Administration immediately deployed fire brigade, ambulance, and police personnel, who, with the help of the fire brigade, extinguished the fire. During the inspection, partially burnt packets of combustible candles were found at the site, and photographs were taken as evidence.

- iv. According to the report of the Sub-Divisional Magistrate, Modinagar, Ghaziabad, dated 05.07.2020, the factory was illegally manufacturing and storing combustible candles at a confined location by Shri Nitin, son of Shri Prem Singh, resident of Village Bakharwa, Tehsil Modinagar. As a result of the fire, eight persons died on the spot and eleven persons were injured.

A Copy of the SDM report dt. 05.07.2020 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2**.

- v. That as per office records, no NOC or consent was obtained from the UPPCB for establishing this unit.
- vi. It is evident that the factory was storing C-category substances listed under Schedule-1, Part-1 of the **Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989**, and was being operated without the required permissions, thereby violating Rules 4, 5, 7, 10, 11, and 13 of the said Rules.



08 OCT 2025

8. That further, the UPPCB has written a letter dt. 08.09.2025 to the Sub-Divisional Magistrate, Modinagar, Ghaziabad. That vide the said letter it has been requested to forward the complete report of action taken by the District Administration, Ghaziabad in the aforementioned matter.

A Copy of the letter dt. 08.09.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

9. That in response to the aforementioned letter, the Sub-Divisional Magistrate, Modinagar, Ghaziabad vide letter dt. 27.09.2025 has submitted as under:

- That during the incident, 10 persons including men and women laborers present at the site were found dead or injured. That within the said details of the deceased is provided in a tabulated chart.
- The deaths of S. No. 1 to 8 occurred immediately at the site. Their families were provided financial assistance of Rs. 4 lakh each. That S. No. 9 died during treatment at the hospital and was provided Rs. 4 lakh. Further, S. No. 10, K. Laxmi, daughter of Naresh Kumar, died during treatment on 13.07.2020 and was provided Rs. 2 lakh.
- That there were 12 injured persons whose list has been attached in the said letter. That all the injured persons were provided financial assistance of Rs. 50,000 each.

08 OCT 2025



Copy of the letter dt. 27.09.2025 has been annexed herewith as
ANNEXURE R-4.


II. INSPECTION OF THE SITE ON 30.09.2025

10. That the latest inspection of the said site was conducted by the UPPCB officials on 30.09.2025. That during the said inspection, it was observed that the candle manufacturing unit in question is presently **non-existent**, and the site is being **used for residential purposes and animal husbandry activities.**

A Copy of the inspection report has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

Photographs of the site taken during the inspection are attached with the inspection report.

11. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.



08 OCT 2025

12. Hence, the present affidavit is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

Sandeep S.
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Ghaziabad on this 08 day of October, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sandeep S.
DEPONENT



ATTESTED
Sandeep S.
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA

08 OCT 2025

ग्राम बखरवा, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में दिनांक 05.07.2020 को मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त ई-मेल दिनांक 07.07.2020 के क्रम में अद्योहस्ताक्षरियों द्वारा ग्राम बखरवा, तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में प्रश्नगत मोमबत्ती फैक्ट्री स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.07.2020 को किया गया। उक्त फैक्ट्री ग्राम बखरवा की घनी आबादी के बीच स्थित है, जिसके आस-पास आवासीय मकान स्थित है। निरीक्षण के समय मौके पर फैक्ट्री पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था तथा मौके पर पुलिस बल की तैनाती पायी गयी।

स्थानीय ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 05.07.2020 को सांय 04:00 बजे के आस-पास जनपद गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर स्थित ग्राम बखरवा में स्थित मोमबत्ती फैक्ट्री में अचानक आग लग गयी जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त होने पर मौके पर फायर बिग्रेड, एम्बुलेन्स एवं पुलिस बल आदि उपस्थित हो गये, जिनके द्वारा फायर बिग्रेड की मदद से फैक्ट्री में लगी आग को बुझाया गया। निरीक्षण के समय मौके पर ज्वलनशील मोमबत्ती के अधजले पैकेटस पाये गये तथा मौके पर लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है:-



उपजिलाधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद की आख्या दिनांक 05.07.2020 के अनुसार उक्त ग्राम में श्री नितिन पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम बखरवा, तहसील मोदीनगर द्वारा एक घर (स्थान) में अवैध ज्वलनशील मोमबत्ती का निर्माण एवं भण्डारण किया जा रहा था तथा आग लगने एवं उसमें जलने से 08 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा 11 व्यक्ति घायल हो गये। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), गाजियाबाद की आख्या दिनांक 06.07.2020 की आख्या संलग्न है।

कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त उद्योग में THE MANUFACTURE, STORAGE AND IMPORT OF HAZARDOUS CHEMICAL RULES, 1989 के Shedule-1 Part-1 के सी-श्रेणी के पदार्थ भण्डारित किये गये थे तथा उक्त वर्णित अधिनियम की उपनियम-4, 5, 7, 10, 11 व 13 का उल्लंघन करते हुए सम्बन्धित विभागों की अनुमति प्राप्त किये बिना इकाई संचालित की जा रही थी।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(अशुल शर्मा)
(अशुल शर्मा)
अवर अभियंता

(बी०के० सिंह)
(बी०के० सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया दायीं ओर प्रस्तुत तहसीलदार/उपजिलाधिकारी मोदीनगर की संयुक्त आख्या दिनांक 05.07.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 05.07.2020 को सांयकाल करीब 04:00 बजे जनपद गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर थाना मोदीनगर क्षेत्रान्तगत स्थित ग्राम बखरवा में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण मोके पर पहुंचे। मोके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा तथा अन्य क्षेत्रवारियों द्वारा बताया गया कि उक्त ग्राम में नितिन पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर द्वारा एक घर में अवैध ज्वलनशील मोमबत्ती का निर्माण/भण्डारण किया जा रहा था, जिसमें ग्राम की महिलाएं एवं पुरुष मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। आग लगने एवं उसमें जलने से 08 व्यक्तियों की मोके पर ही मृत्यु हो गई तथा 11 व्यक्ति घायल हो गए। प्रथम दृष्टया मृतक के रूप में चिन्हित किये व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—

मृतक हुए व्यक्तियों का विवरण

1. श्रीमती पूनम पत्नी विनेश जाति कश्यप निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
2. श्रीमती बेबी पत्नी नरेश जाति कश्यप निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
3. कु० चिंकी पुत्री परमानन्द जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
4. अक्षित पुत्र सुनील जाति नाई निवासी ग्राम विजयनगर तहसील मोदीनगर।
5. शाहिनूर पुत्री साहबुद्दीन जाति मुस्लिम (तेली) निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
6. श्रीमति मुनेश पत्नी राधेश्याम जाति कोरी निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
7. कु० ईशू पुत्री अनिल जाति कुम्हार निवासी गली नं०-01 विजयनगर मोदीनगर।
8. पारूल पुत्री स्व० शीशपाल जाति जाटव निवासी गली नं०-05 विजयनगर।

घायल हुए व्यक्तियों का विवरण

1. श्रीमती राजवती पत्नी पप्पू जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
2. श्रीमती गीता पत्नी परवीन जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
3. श्रीमती मीनाक्षी पत्नी सुन्दर जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
4. श्रीमती गीता पत्नी संजय कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम शकूरपुर तहसील मोदीनगर।
5. श्रीमती दुलारी पत्नी अनिल जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
6. श्रीमती राजन पत्नी राकेश जाति कोरी निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
7. श्रीमती अंजली पत्नी सुनील जाति कुम्हार निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
8. श्रीमती जागो पत्नी अजब सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
9. श्रीमती विमला पत्नी संजय जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
10. श्रीमती पुष्पा पत्नी जगपाल जाति कश्यप निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
11. श्रीमती मुन्नी पत्नी लल्लु जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।

उप जिलाधिकारी मोदीनगर/तहसीलदार मोदीनगर द्वारा अपनी आख्या में मृतक एवं घायल व्यक्तियों एवं उनके परिवारजनों को आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होने का उल्लेख करते हुए मृतकों के परिवारजनों को एवं घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त मृतकों के शरीर 100 प्रतिशत जल जाने के कारण पहचान होने में कठिनाई हो रही है। इसलिये प्रथम दृष्टया चिन्हित हुए मृतक एवं घायल व्यक्तियों के नामों में परिवर्तन होने की भी सम्भावना है।

उपरोक्त घटना की गम्भीरता एवं क्षेत्र में अवैध विस्फोटक पदार्थ के भण्डारण/फैक्ट्री के पाये जाने के आरोप में प्रभारी चौकी मां दीपोन मां दीनगर के उपनिरीक्षक श्री रफीक अहमद को निलम्बित कर दिया गया है एवं इनके विरुद्ध विभागीय जांच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद को दी गई है। इसके अतिरिक्त इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गाजियाबाद को सौंपी गई है। राहत रेस्क्यू व आग के कारणों को ज्ञात करने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद व अन्य प्रयासरत हैं।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को अपर मुख्य सचिव गृह, उ०प्र० शासन द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशों के क्रम में मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये तथा घायल व्यक्तियों के परिजनों को पचास-पचास हजार रुपये की धनराशि किसी भी फण्ड से तत्काल आहरित कराकर वितरण करा दी जायें तथा वितरण धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु शासन को प्रकरण संदर्भित कर दिया जायें। अपर मुख्य सचिव, गृह उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4.00 लाख रु० आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने की घोषणा करते हुए प्रत्येक मृतक के वारिसान को अंकन 4.00 लाख रु० की धनराशि की आर्थिक सहायता जनपद स्तर पर संचालित ग्राम सभा संचित कोष से दे दी गयी है तथा सम्यन्धित धनराशि की प्रतिपूर्ति मा० मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से किये जाने हेतु शासन को अवगत कराया जाना हेतु प्रस्तावित है।

उपरोक्त घटना में पीडित प्रत्येक मृतक के वारिसानों को 4 लाख रु० एवं प्रत्येक घायल व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा के अतिरिक्त 50 हजार रु० आर्थिक सहायता निर्गत किये जाने हेतु सचिव मा० मुख्य मंत्री उ०प्र० शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किये जाने सम्बन्धी पत्र का आलेख दायीं ओर आपके अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। कृपया हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

10/5/21/20
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)
गाजियाबाद

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गाजियाबाद।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

महोदय,

आज दिनांक 05.07.2020 को सॉय काल करीब 04 बजे जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम बखरवा में आग लगने की सूचना प्राप्त हुयी, सूचना प्राप्त होते ही तत्काल फायर विग्रेड, एम्बुलेंस तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण मौके पर पहुँचे मौके पर उपस्थित व्यक्तियों तथा अन्य क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि उक्त ग्राम में नितिन पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर द्वारा एक घेर (स्थान) में अवेध ज्वलनशील मोमयत्ती का निर्माण/भंडारण किया जा रहा था, जिसमें ग्राम की महिलाएं एवं पुरुष मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। आग लगने एवं उरामें जलने से आठ व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा ग्यारह व्यक्ति घायल हो गये। प्रथम दृष्टया मृतक के रूप में चिन्हित किये गये व्यक्तियों की सूची निम्नवत है:-

क्र०सं०	मृतक के नाम	वारिसानो का नाम
1.	श्रीमती पूनम पत्नी विनेश जाति करयप निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर।	1. विनेश पुत्र महावीर (पति) आयु 42 वर्ष 2. सोरभ-पुत्र आयु 21 वर्ष अविवाहित 3. कु० शिवानी-पुत्री आयु 18 वर्ष अविवाहित 4. कु० स्वाति-पुत्री आयु 16 वर्ष अविवाहित 5. उमेश-पुत्र आयु 14 वर्ष अविवाहित
2.	श्रीमती बेबी पत्नी नरेश जाति करयप निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर।	1. नरेश पुत्र नेथोला सिंह (पति) उम्र 48 वर्ष 2. दीपक-पुत्र आयु 27 वर्ष विवाहित 3. मोहित-पुत्र आयु 23 वर्ष अविवाहित 4. साहित-पुत्र आयु 20 वर्ष अविवाहित 5. कु० नेहा-पुत्री आयु 18 वर्ष अविवाहित
3.	कु० चिकी पुत्री परमानन्द जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर।	1. परमानन्द पुत्र महेश (पिता) उम्र 45 वर्ष 2. ओमवती पत्नी परमानन्द (माता) उम्र 40 वर्ष 3. रिकी-पुत्री उम्र 19 वर्ष अविवाहित 4. हर्ष-पुत्र उम्र 17 वर्ष अविवाहित 5. कु० आरजू-पुत्री उम्र 15 वर्ष अविवाहित
4.	अक्षित पुत्र सुनील कुमार जाति नाई निवासी ग्राम विजयनगर मोदीनगर।	1. सुनील पुत्र मामचन्द उम्र 44 वर्ष 2. रीना-माता उम्र 38 वर्ष 3. अशिका-बहन उम्र 10 वर्ष
5.	शाहिनूर पुत्री साबुददीन जाति मुस्लिम (तेली) निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर।	1. साबुददीन पुत्र सुल्तान (पिता) उम्र 60 वर्ष 2. मोहसीना माता उम्र 58 वर्ष 3. शहजाद-भाई उम्र 17 वर्ष अविवाहित
6.	श्रीमती मुनेश पत्नी राधेश्याम जाति कोरी निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर।	1. राधेश्याम पुत्र चन्दकिरण (पति) उम्र 35 वर्ष 2. अंशु-पुत्र उम्र 12 वर्ष अविवाहित 3. दीपक-पुत्र उम्र 06 वर्ष अविवाहित 4. शुभम-पुत्र उम्र 06 वर्ष अविवाहित
7.	कु० ईशू पुत्री अनिल जाति कुम्हार निवासी गली नं० 01, विजयनगर मोदीनगर मूल निवासी	1. अनिल कुमार पुत्र दौलतराम उम्र 2. श्रीमती उमा माता उम्र 40 वर्ष 3. कुनाल-भाई उम्र 17 वर्ष अविवाहित
8.	पारूल पुत्री स्व० शीशपाल जाति जाटव निवासी गली नं० 05, विजयनगर	1. शीशपाल पुत्र गिरधारी उम्र 40 वर्ष 2. महेन्दी माता-उम्र 37 वर्ष 3. दीपक-भाई उम्र 12 वर्ष अविवाहित 4. पूजा-बहन उम्र 24 वर्ष अविवाहित 5. शालू-बहन उम्र 15 वर्ष अविवाहित 6. स्वाती-बहन उम्र 13 वर्ष अविवाहित 7. राखी-बहन उम्र 22 वर्ष विवाहित

घायल हुए व्यक्तियों की सूची-

1. श्रीमती राजवती पत्नी पप्पू जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
2. श्रीमती गीता पत्नी परवीन जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
3. श्रीमती मीनाक्षी पत्नी सुन्दर जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
4. श्रीमती गीता पत्नी संजय कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम शकूरपुर तहसील मोदीनगर।
5. श्रीमती दुलारी पत्नी अनिल जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
6. श्रीमती राजन पत्नी राकेश जाति कोरी निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
7. श्रीमती अंजली पत्नी सुनील जाति कुम्हार निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
8. श्रीमती जागो पत्नी अजब सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
9. श्रीमती बिमला पत्नी संजय जाति गोस्वामी निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
10. श्रीमती पुष्पा पत्नी जगपाल जाति कश्यप निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।
11. श्रीमती मुन्नी पत्नी लल्लू जाति जाटव निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर।

उपरोक्त मृतक एवं घायल व्यक्तियों एवं उनके परिवारजनों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर है। अतः मृतको के परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

5/7/2020

5-7-2020
तहसीलदार
मोदीनगर।

5-7-2020
उपजिलाधिकारी
मोदीनगर



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppccb.com, e-mail: rogghaziabad@uppccb.in

संदर्भ संख्या : 1023 / 167-254 / 2025

दिनांक 08/09/2025

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
मोदीनगर, गाजियाबाद।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 303/2025 (आई०ए० संख्या 448/2025) नरेश कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 303/2025 (आई०ए० संख्या 448/2025) नरेश कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

.....1. In this original application, applicants are claiming compensation for the deaths which took place and injuries which were suffered on account of explosion in an illegal candle and firecracker manufacturing unit on 05.07.2020 situated in Bakharwa Village, Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

6. Learned Counsel for the applicant submits that in terms of the order of the Tribunal applicants are entitled for a sum of Rs. 20 lakhs for each death which has taken place in the incident and injured persons are also entitled as per the law settled by Tribunal.

7. Issue notice to the respondents for filing their reply by way of affidavit within four weeks.....

अतः आपसे अनुरोध है कि संदर्भित प्रकरण पर जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा आपको नामित किया गया है। अग्रेतर उक्त प्रकरण दिनांक 10.10.2025 को सुनवाई हेतु पुनः सूचीबद्ध है।


क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



कार्यालय उपजिलाधिकारी मोदीनगर।

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE MODINAGAR

पत्रांक: 580 / एस0टी0-एस0डी0एम0 / 2025

दिनांक: 27-09-2025

क्षेत्रीय अधिकारी,

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वसुन्धरा गाजियाबाद।

कृपया आपके पत्र संख्या 1023 / एन0जी0टी0.254 / 2025 दिनांक 08.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 303 / 2025 (आई0ए0 संख्या 448 / 2025) नरेश कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी एव अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के अनुपालन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यावाही का पूर्ण विवरण चाहा गया है। जो निम्नवत है।

तहसील मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम बखरवा में दिनांक 05.07.2020 को लगभग सायं 4.00 बजे नितिन पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद द्वारा घेर (स्थान) में अवैध ज्वलनशील मोमबत्ती का निर्माण/भण्डारण किया जा रहा था, में भीषण अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई, आग लगने के सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड, एबुलेन्स तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मौके पर पहुँच कर बचाव एव राहत कार्य किया गया। अग्निकाण्ड के कारण घटनास्थल पर मजदूरी कार्य कर रहे महिला व पुरुष मृतक व घायल पाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

मृतकों का विवरण—

क्र0स0	मृतक का नाम/पिता का नाम /पता	आश्रित का नाम /पिता का नाम /पता	मृतक से संबंध
1	अक्षित कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी विजयनगर मोदीनगर (आयु 15 वर्ष)	सुनील कुमार पुत्र मामचन्द निवासी विजयनगर मोदीनगर	पिता
2	मुनेश पत्नी राधेश्याम निवासी बखरवा (आयु 33 वर्ष)	राधेश्याम पुत्र चन्दन सिंह निवासी बखरवा	पति
3	कू0 पिकी पुत्री परमानन्द निवासी विजयनगर मोदीनगर (आयु 21 वर्ष)	परमानन्द पुत्र महेश निवासी विजय नगर मोदीनगर	पिता
4	श्रीमति पुनम पत्नी विनेश निवासी ग्राम बखरवा (आयु 40 वर्ष)	विनेश पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम बखरवा	पति
5	श्रीमति बेबी पत्नी नरेश निवासी ग्राम बखरवा (आयु 45 वर्ष)	नरेश पुत्र नथोला सिंह निवासी ग्राम बखरवा	पति
6	शाहिनूर पुत्री साबुददीन निवासी ग्राम बखरवा (आयु 19 वर्ष)	साबुददीन पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम बखरवा	पिता
7	पारूल पुत्री शीशपाल निवासी बखरवा (आयु 19 वर्ष)	महेन्द्री पत्नी शीशपाल निवासी बखरवा	माता

Desktop rahul shortcut file

₹

8	कु0 ईशू पुत्री अनिल निवासी गली नं0 1 विजयनगर मोदीनगर (आयु 19 वर्ष)	उमा पत्नी अनिल निवासी गली नं0 1 विजयनगर मोदीनगर	माता
9	जग्गो पत्नी अजब सिंह निवासी बखरवा (आयु 45 वर्ष)	अजब सिंह पुत्र कृष्णा निवासी ग्राम बखरवा	पति
10	लक्ष्मी पुत्री नरेश कुमार निवासी बखरवा (आयु 16 वर्ष)	नरेश पुत्र तिलकराम निवासी बखरवा	पिता

उपरोक्त क्रमांक 1 से 8 तक की मृत्यु घटना स्थल पर तत्काल हो गयी थी। जिनके परिजनो को तत्काल सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि का बैंक उपलब्ध करा दिया गया तथा क्रमांक 9 की मृत्यु अस्पताल मे उपचार के दौरान हो गयी जिनको 4 लाख धनराशि उपलब्ध करायी गयी। क्रमांक 10 पर अंकित कु0 लक्ष्मी पुत्री नरेश कुमार की मृत्यु उपचार के दौरान 13.07.2020 को हुई। जिनको 2 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी।

घायलो का विवरण-

क्र0स0	घायलो का नाम/पता
1	गीता पत्नी प्रवीन कुमार निवासी बखरवा (आयु 35 वर्ष)
2	रामभतेरी पत्नी देवेन्द्र निवासी बखरवा (आयु 49 वर्ष)
3	मुन्नी पत्नी लल्लू निवासी बखरवा (आयु 55 वर्ष)
4	पुष्पा कश्यप पत्नी जगपाल निवासी बखरवा (आयु 31 वर्ष)
5	विमला पत्नी संजय निवासी बखरवा (आयु 43 वर्ष)
6	अंजली पत्नी सुनील निवासी बखरवा (आयु 39 वर्ष)
7	राजन पत्नी सुनील निवासी बखरवा (आयु 47 वर्ष)
8	दुलारी पत्नी अनिल निवासी बखरवा (आयु 33 वर्ष)
9	मीनाक्षी पत्नी सुन्दर निवासी बखरवा (आयु 38 वर्ष)
10	राजवती पत्नी पप्पू निवासी बखरवा (आयु 38 वर्ष)
11	अनिता पत्नी पवन कुमार निवासी बखरवा (आयु 25 वर्ष)
12	गीता पत्नी संजय कुमार निवासी शकूरपुर (आयु 38 वर्ष)

सभी घायलो क्रमांक 1 से 12 तक प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी थी।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।


उपजिलाधिकारी,
मोदीनगर।

महोदय

कृपया क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद के पत्र संख्या 1023/एन०जी०टी०.254/2025 दिनांक 08.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 303/2025 (आई०ए० संख्या 448/2025) नरेश कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी एव अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के अनुपालन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यावाही का पूर्ण विवरण चाहा गया है। जो निम्नवत है।

तहसील मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम बखरवा में दिनांक 05.07.2020 को लगभग सायं 4.00 बजे नितिन पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद द्वारा घर (स्थान) में अवैध ज्वलनशील मोमबत्ती का निर्माण/भण्डारण किया जा रहा था, में भीषण अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई, आग लगने के सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड, एंबुलेन्स तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मौके पर पहुँच कर बचाव एव राहत कार्य किया गया। अग्निकाण्ड के कारण घटनास्थल पर मजदूरी कार्य कर रहे महिला व पुरुष मृतक व घायल पाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

मृतको का विवरण-

क्र० सं०	मृतक का नाम/पिता का नाम /पता	आश्रित का नाम /पिता का नाम /पता	मृतक से संबंध
1	अक्षित कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी विजयनगर मोदीनगर (आयु 15 वर्ष)	सुनील कुमार पुत्र मामचन्द निवासी विजयनगर मोदीनगर	पिता
2	मुनेश पत्नी राधेश्याम निवासी बखरवा (आयु 33 वर्ष)	राधेश्याम पुत्र चन्दन सिंह निवासी बखरवा	पति
3	कु० पिकी पुत्री परमानन्द निवासी विजयनगर मोदीनगर (आयु 21 वर्ष)	परमानन्द पुत्र महेश निवासी विजय नगर मोदीनगर	पिता
4	श्रीमति पुनम पत्नी विनेश निवासी ग्राम बखरवा (आयु 40 वर्ष)	विनेश पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम बखरवा	पति
5	श्रीमति बेबी पत्नी नरेश निवासी ग्राम बखरवा (आयु 45 वर्ष)	नरेश पुत्र नथोला सिंह निवासी ग्राम बखरवा	पति
6	शाहिनूर पुत्री साबुददीन निवासी ग्राम बखरवा (आयु 19 वर्ष)	साबुददीन पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम बखरवा	पिता
7	फारुल पुत्री शीशपाल निवासी बखरवा (आयु 19 वर्ष)	महेन्द्री पत्नी शीशपाल निवासी, बखरवा	माता
8	कु० ईशू पुत्री अनिल निवासी गली नं० 1 विजयनगर मोदीनगर (आयु 19 वर्ष)	उमा पत्नी अनिल निवासी गली नं० 1 विजयनगर मोदीनगर	माता
9	जग्गा पत्नी अजब सिंह निवासी बखरवा (आयु 45 वर्ष)	अजब सिंह पुत्र कृष्णा निवासी ग्राम बखरवा	पति
10	लक्ष्मी पुत्री नरेश कुमार निवासी बखरवा (आयु 16 वर्ष)	नरेश पुत्र तिलकराम निवासी बखरवा	पिता

उपरोक्त क्रमांक 1 से 8 तक की मृत्यु घटना स्थल पर तत्काल हो गयी थी। जिनके परिजनो को तत्काल सहायता के रूप में 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि का चैक उपलब्ध करा दिया गया तथा क्रमांक 9 की मृत्यु अस्पताल मे उपचार के दौरान हो गयी जिनको 4 लाख धनराशि उपलब्ध करायी गयी। क्रमांक 10 पर अंकित कु० लक्ष्मी पुत्री नरेश कुमार की मृत्यु उपचार के दौरान 13.07.2020 को हुई। जिनको 2 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी।

घायलो का विवरण-

क्र० स०	घायलो का नाम/पता
1	गीता पत्नी प्रवीन कुमार निवासी बखरवा (आयु 35 वर्ष)
2	राममतेरी पत्नी देवेन्द्र निवासी बखरवा (आयु 49 वर्ष)
3	मुन्नी पत्नी लल्लू निवासी बखरवा (आयु 55 वर्ष)
4	पुष्पा कश्यप पत्नी जगपाल निवासी बखरवा (आयु 31 वर्ष)
5	विमला पत्नी संजय निवासी बखरवा (आयु 43 वर्ष)
6	अंजली पत्नी सुनील निवासी बखरवा (आयु 39 वर्ष)
7	राजन पत्नी सुनील निवासी बखरवा (आयु 47 वर्ष)
8	दुलारी पत्नी अनिल निवासी बखरवा (आयु 33 वर्ष)
9	मीनाक्षी पत्नी सुन्दर निवासी बखरवा (आयु 38 वर्ष)
10	राजवती पत्नी पप्पू निवासी बखरवा (आयु 38 वर्ष)
11	अनिता पत्नी पवन कुमार निवासी बखरवा (आयु 25 वर्ष)
12	गीता पत्नी संजय कुमार निवासी शकूरपुर (आयु 38 वर्ष)

सभी घायलो क्रमांक 1 से 12 तक प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी थी।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक-

प्राप्त कराये गये चैक बाउचर की छाया प्रति

संशोधित नैऋतः

ग्राम बखरवा तसील मोदीनगर में दिनांक 05.07.2020 को हुए अग्निकाण्ड में मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता धनराशि वितरण बाउचर प्रारूप तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद




क्र० सं०	सामर्थी का नाम व पिता का नाम व पता	बैंक सं० / दिनांक	वितरित धनराशि	सामर्थी का फोटो	प्रति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	शानाखा कर्ता के हस्ताक्षर	सत्यापित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर
1	2 श्री राधेश्याम पुत्र चन्दन सिंह नि०ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर	3 655281 / 13.07.2020	4 4,00,000 /- (चार लाख रु मात्र)	5 	6 राधेश्याम	7 	8 
2	नरेश पुत्र तिलकराम नि० ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर		4,00,000 /- (चार लाख रु मात्र)				

ग्राम बखरवा तसील मोदीनगर में दिनांक 05.07.2020 को हुए अग्निकाण्ड में मा0 मुख्यमंत्री विवेकध्वनि कोष से सहायता धनराशि वितरण बाउचर प्राप्त तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद दिनांक 06.07.2020

क्र० सं०	लामार्थी का नाम व पिता का नाम व पता	बैंक सं० / दिनांक	वितरित धनराशि	लामार्थी का फोटो	प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	शान्द कर्ता के हस्ताक्षर	सत्यापित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर
1	विनेश पुत्र महावीर निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर	655269 / 06.07.2020	4,00,000 / - (चार लाख रु मात्र)		प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी Vinay Kumar Singh	शान्द कर्ता के हस्ताक्षर Dr. Vinay Kumar Singh	सत्यापित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर Dr. Vinay Kumar Singh
2	नरेश पुत्र नैथाला सिंह निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर	655270 / 06.07.2020	4,00,000 / - (चार लाख रु मात्र)		प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी Nagesh Kumar Singh	शान्द कर्ता के हस्ताक्षर Dr. Nagesh Kumar Singh	सत्यापित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर Dr. Nagesh Kumar Singh
3	परमानन्द पुत्र महेश निवासी विजयनगर मोदीनगर	655271 / 06.07.2020	4,00,000 / - (चार लाख रु मात्र)		प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी Paramanand Kumar Singh	शान्द कर्ता के हस्ताक्षर Dr. Paramanand Kumar Singh	सत्यापित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर Dr. Paramanand Kumar Singh



Dr. Vinay Kumar Singh
Dr. Nagesh Kumar Singh
Dr. Paramanand Kumar Singh

Dr. Vinay Kumar Singh
Dr. Nagesh Kumar Singh
Dr. Paramanand Kumar Singh

क्र० सं०	लगावर्षी का नाम व पिता का नाम व पता	बैंक सं० / दिनांक	वितरित धनराशि	लगावर्षी का फोटो	प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	शानाख्त कर्ता के हस्ताक्षर	सत्यापित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
4	सुनील कुमार पुत्र ममचन्द निवासी विजयनगर मोदीनगर	655272 / 06.07.2020	4,00,000 / - (चार लाख रु मात्र)				
5	साबुद्दीन पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर	655273 / 06.07.2020	4,00,000 / - (चार लाख रु मात्र)				
6	राधेश्याम पुत्र चन्दकिरण निवासी ग्राम बखरवा मोदीनगर	655274 / 06.07.2020	4,00,000 / - (चार लाख रु मात्र)				

32

06/07/2020

क्र० सं०	लामार्थी का नाम व पिता का नाम व पता	चैक सं० / दिनांक	वितरित धनराशि	लामार्थी का फोटो	प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	शुद्धाकर्ता के हस्ताक्षर	सत्यापित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर
1	2	3	4		6	7	8
7	शिवल कुमार पुत्र- सैबकसम निवासी गली नं० 1 विजय नगर मोदीनगर	6552294/ 06.07.2020/ 6552277	4,00,000 /- (चार लाख रु मात्र)		शुभा		
8	श्रीसममल पुत्र मिस्समयी- निवासी गली नं० 5 विजय नगर मोदीनगर	655276/ 06.07.2020	4,00,000 /- (चार लाख रु मात्र)		 नि० 5१० नै० २५		

5/2

2020/06/06
शुभा

VALUE OF THE STIP

पंचजलाधिकार

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम व पता	चैक सं० / दिनांक	वितरित धनराशि	प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	शनाख्त कर्ता के हस्ताक्षर	सम्प्रदाय कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर
1	श्री अजब सिंह	516830 / 22.08.2022	2,00,000/-			
2	श्री नरेश कुमार पुत्र नि.ल.६२१५	516831 / 22.08.2022	2,00,000/-	नरेश		
3	श्रीमती गीता पत्नी प्रवीन कुमार	516832 / 22.08.2022	50,000/- गुलिया	गीता		
4	श्रीमती राममतेरी पत्नी श्री देवेन्द्र	516833 / 22.08.2022	50,000/-	देवेन्द्र		

चैक वितरण बाजवर
ग्राम बाखरवा भीषण अठिनकाण्ड से प्रभावित व्यक्ति

तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद

2022/08/24/1086m

बजरवा

तहसीलदार
मोदीनगर




चैक वितरण बाउचर

ग्राम बखरवा भीषण अनिकाण्ड से प्रभावित व्यक्ति

तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद

22/08/2022

वितरणकर्ता

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम व पता	चैक सं०/दिनांक	वितरित धनराशि	प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	शनाख्त कर्ता के हस्ताक्षर	वितरणकर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
5	श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री लखू	516834 / 22.08.2022	50,000/-	 मुन्नी		शासक मोदीनगर
6	श्रीमती पुष्पा कश्यप पत्नी जगपाल	516835 / 22.08.2022	50,000/-	 पुष्पा		शासक मोदीनगर
7	श्रीमती विमला पत्नी श्री संजय	516836 / 22.08.2022	50,000/-	 विमला		शासक मोदीनगर
8	श्रीमती अंजलि पत्नी श्री सुनील	516837 / 22.08.2022	50,000/-	 अंजलि		शासक मोदीनगर



शेक वितरण बाउचर
ग्राम बखरवा भीषण अरिनाकाण्ड से प्रभावित व्यक्ति
तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद


2020/5/10-20/10/2020

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम व पता	शेक सं०/दिनांक	वितरित धनराशि	प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	शनाख्त कर्ता के हस्ताक्षर	सम्बन्धित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर
1		3	4	5	6	7
9	श्रीमती राजन पत्नी राकेश	516838 / 22.08.2022	50,000/-	 प्रो. 21/08/22		श्रीमती राजन पत्नी राकेश तहसीलदार मोदीनगर
10	श्रीमती दुलारी पत्नी श्री अनिल	516839 / 22.08.2022	50,000/-	दुलारी		श्रीमती दुलारी पत्नी श्री अनिल तहसीलदार मोदीनगर
11	श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री सुन्दर	516840 / 22.08.2022	50,000/-	मीनाक्षी		श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री सुन्दर तहसीलदार मोदीनगर
12	श्रीमती राजवती पत्नी श्री पप्पू	516841 / 22.08.2022	50,000/-	पप्पू		श्रीमती राजवती पत्नी श्री पप्पू तहसीलदार मोदीनगर

चैक वितरण बाउचर
ग्राम बखरवा भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्ति

तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद

24/08/22

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम व प्रता	चैक सं०/दिनांक	विवरित धनराशि	प्राप्ति कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी	शनाख्त कर्ता के हस्ताक्षर	सत्यापित कर्ता का नाम व पद नाम व हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
13	श्रीमती अनिता पत्नी श्री पवन कुमार	516842 / 22.08.2022	50,000/-	अनिता		24/08/22 
14	श्रीमती गीता पत्नी संजय कुमार	516843 / 22.08.2022	50,000/-	गीता		 उपनिष्ठाधिकारी मोदीनगर जिला गा0दाद

220

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या- 356/2025 नरेश कुमार व अन्य स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के क्रम में स्थल निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या- 356/2025 नरेश कुमार व अन्य स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के क्रम में ग्राम बखरवा तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के आवासीय क्षेत्र में मोमबत्ती बनाने वाली इकाई में दिनांक 05.07.2020 को घटित दुर्घटना से सम्बन्धित स्थल का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.09.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में मोमबत्ती बनाने वाली इकाई अस्तित्व में नहीं हैं, तथा स्थल का प्रयोग रिहायसी के साथ पशुपालन के कार्य में लाया जा रहा है। मौके पर लिये गये स्थल के फोटोग्राफ निम्नवत् है-



उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(संदेश कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी